छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

विधान नगर,
रायपुर (छ.ग.) 492005
website- cgvidhansabha.gov.in

क्रमांक. 01 /वि.स./पुस्त./1-I/2010 रायपुर, दिनांक 10/12/2010

पुस्तकों का क्रय

छत्तीसगढ़ विधान सभा पुस्तकालय के लिए पुस्तक विक्रेताओं, प्रकाशकों से सामान्य पुस्तकें, स्वप्रकाशन, इनसाइक्लोपिडिया/शब्दकोश, विधिक प्रकाशन, विदेशी प्रकाशन, शासकीय प्रकाशन की पुस्तकों के क्रय पर देयक छूट के प्रतिशत का विवरण विधान सभा सचिवालय, रायपुर में दिनांक 22, 23 एवं 24 दिसम्बर, 2010 को आयोजित की जाने वाली पुस्तक प्रदर्शनी हेतु सहमति पत्र सहित दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 तक आमंत्रित है।

पुस्तक प्रदर्शनी से संबंधित अन्य जानकारी एवं शर्तें विधान सभा के वेबसाइट एवं विधान सभा सचिवालय से कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है। पुस्तकों पर क्रय हेतु देय छूट का विवरण तथा पुस्तक प्रदर्शनी हेतु सहमति पत्र सचिवालय के फैक्स नं. 0771-2283788, 2283615, E-mail:-secycgvs@rediffmail.com पर भी भेजी जा सकती है।

प्रदर्शनी तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

सचिव

पुस्तक क्रय की शर्तें

1. पुस्तक प्रदाय हेतु शर्तों से सहमत पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक को 10,000/- (दस हजार रूपये) की सुरक्षा निधि जमा करानी होगी। इस हेतु उन्हें पंद्रह माह की सावधि (एफ.डी.) जो कि सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय हो, निविदा/सहमति के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त सुरक्षानिधि संलग्न न होने पर वह निविदा अमान्य होगी।

2. रजिस्टर्ड पुस्तक विक्रेताओं/प्रकाशकों को पुस्तकों के नवीनतम संस्करण केटलॉग, पुस्तकों की जानकारी स्वयं के व्यय पर निरंतर भेजने हेतु लिखा जायेगा।

3. पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक द्वारा दिये गये कैटलॉग/सूची के एप्रुवल पर पुस्तकों के क्रय आदेश में शतप्रतिशत पुस्तकें प्रदाय करना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने पर क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात उन अप्राप्त पुस्तकों का क्रयादेश दूसरे पुस्तक विक्रेताओं को दिया जायेगा तथा ऐसे पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक द्वारा जमा धरोहर राशि में से छूट के अंतर की राशि काट ली जावेगी एवं ऐसे डिफाल्टर पुस्तक विक्रेताओं के प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे। समिति ऐसे आवश्यक मामलों में अपनी अनुशंसा माननीय अध्यक्ष (छत्तीसगढ़ विधानसभा) को देगी जिनका निर्णय अंतिम होगा।

4. पुस्तक विक्रेताओं की ओर से एप्रुवल हेतु प्राप्त पुस्तकें जो चयनित नहीं हुई है उन्हें वापस ले जाने की जिम्मेदारी संबंधित पुस्तक विक्रेता की होगी। पुस्तकें दो माह की अवधि में संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा वापस नहीं ले जाने पर वे पुस्तकें छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा राजसात कर ली जायेगी।

5. प्रदाय की जाने वाली पुस्तकों के देयक में पुस्तक विक्रेता को यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करना होगा कि पुस्तकें संबंधित मूल प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित है।

6. प्रदाय की जाने वाली पुस्तकें वे ही मान्य होगी जिनका मूल्य सुस्पष्ट मुद्रित हो। स्लिप लगी हुई तथा हाथ से संशोधित मूल्य वाली पुस्तकें मान्य नहीं होगी। साथ ही प्रकाशक का मूल्य प्रमाणीकरण का पत्र भी देना होगा।

7. विदेशों में प्रकाशित पुस्तकों के मूल्य प्रमाणीकरण हेतु गुड्स आफिस कमेटी का परिवर्तित मूल्य प्रमाणीकरण क्रय आदेश तिथि का देयक संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. पुस्तकालय को प्रदायित समस्त पुस्तकों के नवीनतम एवं अद्यतन संस्करण होने चाहिए।

9. प्रदाय की जाने वाली पुस्तकें कटी फटी, मुड़ी हुई, गंदी नहीं होनी चाहिए।

10. जो पुस्तक विक्रेता समिति द्वारा निर्धारित की गई छूट से अधिक छूट प्रस्तावित करेंगे तो ऐसी पुस्तकें उनसे उसी छूट पर ही क्रय की जावेगी।

11. माननीय अध्यक्ष महोदय को पुस्तक क्रय की शर्तों में छूट देने, परिवर्तन करने, किसी प्रस्ताव को अमान्य करने, किसी गैर पंजीबद्ध पुस्तक विक्रेता से पुस्तक क्रय करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. किसी भी विवाद के निपटारे या नियमों के निर्वचन का अधिकार माननीय अध्यक्ष को होगा।

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय